सं० 11030/36/78-अ०भा०से०॥1॥

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर, 1979

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।

विषय:- भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा - 60 दिन अथवा इससे अधिक समय की अल्पावधि रिक्तियों में स्थानापन्न पदोन्नति ।

महोदय,

मुझे इस विभाग के दिनांक 30 जून, 1971 के पत्र संख्या 1/58/70-अ०भा०से०॥1॥, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय वन सेवा के चयन ग्रेड में अल्पावधि रिक्तियों के लिए स्थानापन्न पदोन्नतियों की स्वीकृति तब दी जाय, जब रिक्तियां 90 दिनों अथवा इससे अधिक की अवधि की हों, के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि सुपर टाइम वेतनमान के पदों के सम्बन्ध में ऐसे ही अनुदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार किया गया है । अब यह निर्णय किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में सुपर टाइम वेतनमान में अल्पावधि रिक्तियों में स्थानापन्न पदोन्नतियां अब से वहां स्वीकृत की जाए जहां ऐसी रिक्तियां 45 दिनों अथवा इससे अधिक की कालावधि की हों । अल्पावधियों की बनी रिक्तियों को किसी श्रृंखला के संबंध में पदोन्नतियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उन रिक्तियों के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, जब जो रिक्तियां 45 दिनों की अवधि के बाद एक साथ बढ़ाई गई हों, यह इस विभाग के स्थापना प्रभाग के वेतन एकक ॥पे यूनिट॥ के दिनांक 19-10-1979 के यू० ओ० संख्या 35 18-पी० यू० आई०/79 द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

राम चन्द्र सामल

॥आर० सी० सामल॥

उप सचिव, भारत सरकार ।

प्रति :-

1- सभी महा लेखाकार ।

2- गृह मंत्रालय, यू०टी०एस० अनुभाग ।

3- गृह मंत्रालय, आई०पी०एस० अनुभाग ।

4- वेतन एकक को उनके दिनांक के यू०ओ० सं० -------- के संदर्भ में ।

राम चन्द्र सामल

॥आर०सी० सामल॥

उप सचिव भारत सरकार

आन्तरिक वितरण:- अ०भा०से०॥1॥/अ०भा०से०॥111॥ और अ०भा०से॥4॥अनुभाग